फेडरेशन ऑफ हाईड्रो एक्सलैंस के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18–01–2005 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :–

1. श्री इन्दु कुमार पाण्डे, प्रमुख सचिव, वित्त।
2. श्री बी0पी0 पाण्डे, सचिव, ऊर्जा एवं सिंचाई।
3. डॉ0 ए0के0 पन्त, प्रोफेसर, आई0आई0टी0, रुड़की।
4. डॉ0 अरुण कुमार, ए0एच0ई0सी0 (आई0आई0टी0, रुड़की)।
5. श्री आर0ए0 शर्मा, निदेशक, वित्त, उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन लि0।
6. श्री सागर चन्द्र, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
7. श्री रंजीत लाल, अधिशासी निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0।
8. डॉ0 एम0सी0 जोशी, अपर सचिव, ऊर्जा।

1. फेडरेशन में पूर्व में जल निगम, वन विभाग, जलागम आदि सम्मिलित नहीं थे, अतः यह निश्चय किया गया कि इन्हें भी फेडरेशन में सम्मिलित कर लिया जाय।
2. विभिन्न लाभार्थी विभागों/संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधायें लेने/कार्य करने में duplication नहीं होगा, यह व्यवस्था फेडरेशन के कारण सम्भव हो सकेगी। इसमें राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग भी हो सकेगा। इसी क्रम में यह भी निश्चय किया गया कि GIS नक्शे आदि किसी भी कार्य के लिये मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव के पद्नाम से लाइसेंस राज्य सरकार ले ताकि बार–बार एक ही कार्य के लिये भुगतान न करना पड़े और समय न लगे।
3. अगले कार्य के लिये आई0आई0टी0, रुड़की deliverable targets तैयार करायें।
4. 14/15 फरवरी को फेडरेशन की बैठक देहरादून में की जाय।
5. फेडरेशन के लिये रुपया एक करोड़ का Corpus Fund उपलब्ध कराया जाय जिसके ब्याज से प्रति वर्ष कार्य कराया जायेगा परन्तु साथ ही जल निगम, उरेडा, UJVNL, जलागम व UPCL से क्रमशः रु0 एक–एक लाख तुरन्त दिया जाय ताकि उनकी भागीदारी सक्रिय हो तथा निकट भविष्य में कार्य सम्पन्न भी हो सके।
6. पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये आई0आई0टी0, रुड़की द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग से सघन समन्वय किया जाय तथा इस हेतु विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत Quality Education योजना से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाय। यदि यह सम्भव नहीं हो तो ऊर्जा विभाग के बजट से व्यवस्था की जाय।
7. पाठ्यक्रम तैयार करते समय Certificate Course आदि के लिये भी ढांचा/पाठ्यक्रम तैयार किया जाय।

8. वर्तमान पाठ्यक्रम के साथ कुछ added feature/पाठ्यक्रम तैयार किया जाय ताकि ग्रीष्म/शीत कालीन अवकाश अवधि में प्रशिक्षण आदि के रुप में हाइड्रो सैक्टर एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के प्रति orientation की व्यवस्था हो सके।

9. पाठ्यक्रम इस प्रकार एवं शीघ्र तैयार किया जाय ताकि अगले सत्र से ही कार्यक्रम प्रारम्भ हो सके। पाठ्यक्रम् में विभिन्न स्तर के लिये यथोचित तैयारी की जाय।

10. पाठ्यक्रम व प्रस्तावित व्यवस्था को क्रियान्वित करने की भी पृथक व्यवस्था की जाय एवं इस हेतु सुझाव दिया जाये। तकनीकी शिक्षा निदेशालय के स्तर पर सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

11. पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये जाने के साथ ही प्रशिक्षकों को भी नये पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा, जिस हेतु पृथक व्यवस्था की जाय और कार्यक्रम तैयार किया जाय।

12. बिन्दु 10 व 11 में इंगित क्रियान्वयन कार्य योजना/कार्यक्रम तैयार कर लिया जाय एवं तदानुसार कार्यवाही की जाय।

13. वर्तमान में पृथम/द्वितीय/तृतीय आदि बाद के वर्षों (Later Years) में अध्ययनरत छात्रों के लिये भी यथोचित वैकल्पिक कोर्स (Elective Courses) हेतु व्यवस्था की जाय ताकि अभी से सम्बन्धित छात्रों को राज्य की हाइड्रो क्षमता तथा इस हेतु क्रियान्वित/विकसित किये जा रहे परियोजनाओं से लाभ प्राप्त हो सके। जहां ऐसी व्यवस्था न हो सके वहां अवकाश कालीन Certicicate Course तैयार किये जायं।

14. सम्पूर्ण पाठ्यक्रम/क्रियान्वयन के लिये Special Benchmark तैयार किये जायं तथा Implementation के सम्बन्ध में मूल्यांकन की भी व्यवस्था की जाय।

15. सेवारत व्यक्तियों के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था तैयार की जाय।

16. पाठ्यक्रम (सभी स्तर व श्रेणी यथा छात्र व सेवारत) के लिये पाठ्यक्रम तैयार करते समय विभिन्न विभागों/संस्थाओं जहां रोज़गार मिलने की अधिक सम्भावनायें हैं उन्हें सम्मिलित किया जाय/पाठ्यक्रम तैयार करने वाली टीम में उन्हें भी लिया जाय। यथा UPCL/UJVNL आदि।

17. लाभ लेने वाले सभी User विभागों/संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर दिये जायें ताकि वे इस फेडरेशन के बारे में जान सकें व इसका उपयोग कर सकें साथ ही सुझाव भी दे सकें।

एम0 रामचन्द्रन्
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 384 /I/2005-04(3)/65/03, तद्दिनांक- 28/1/2005

प्रतिलिपि :-

1. फेडरेशन के कोर ग्रुप तथा अन्य ग्रुप के समस्त सदस्य।
2. बैठक के प्रतिभागी व्यक्तियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सचिव जलागम/वन/पेयजल।
4. उ0पा0का0लि0, उ0ज0वि0नि0लि0, जलागम, जल निगम, वन विभाग।

आज्ञा से,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)